न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 308/2021 दायर दिनाँक 01.12.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. नजीर खां पुत्र गुलाम मोहम्मद खां जाति पठान निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. मोईनुदीन खां पुत्र निवाज खां जाति पठान निवासी वार्ड नम्बर 48, भगवानपुरा बस्ती, रानी बाजार उद्योगिक क्षैत्र, बीकानेर। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।
2. श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादी सं0 1 की और से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 27.12.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद ग्राम डीडवाना का निवासी है तथा वादी कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यह खेत वादी का खरीद सुदा खातेदारी का खेत खसरा 102 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा वाकै सरहद पठानों का बाढ़ में अवस्थित है।

यह है कि उक्त खेत निवाज खां के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं निवाज खां के पुत्र मोईनुदीन के द्वारा दिनांक 26.04.1985 को उक्त खेत जरिये ईकरारनामा मुझ वादी द्वारा खरीद किया जा चुका है तथा कब्जा भी मुझ वाददी के पास ही है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बेचाण के पश्चात प्रतिवादी सं0 01 का का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार शेष नही है।

यह है कि उक्त खरीद के पश्चात राजस्व रेकर्ड में रजिस्टर्ड बैचाण नही होने की स्थिति में अमल दरामद नही हो सका। उक्त खेत पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी का खरीद सुदा खेत है। वादी के कब्जे व हक अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :—

यह है कि खेत खसरा सं0 102 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा वाकै सरहद पठानों का बाढ में प्रतिवादी मोइनुदीन खां के पिता निवाज खां का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश सादर पारित किया जावें।

वादी का वाद [illegible] रजिस्टर्ड किया गया। [illegible] पेश राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की [illegible] राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया [illegible] अनुसार प्रतिवादी सं0 01 द्वारा वादी को बैचाण की चुका है। उक्त [illegible] वादी के नाम दर्ज की जाती है तो प्रतिवादी सं0 01 को कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री चाह[illegible]। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:07:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम पठानो का बाढ़ के खसरा सं0 102 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी नजीर खा के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **27.12.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 308/2021 दायर दिनॉंक 01.12.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नजीर खां पुत्र गुलाम मोहम्मद खां जाति पठान निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. मोईनुदीन खां पुत्र निवाज खां जाति पठान निवासी वार्ड नम्बर 48, भगवानपुरा बस्ती, रानी बाजार उद्योगिक क्षैत्र, बीकानेर। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनॉंक 27.12.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी व श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादी सं0 1 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम पठानो का बाढ़ के खसरा सं0 102 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी नजीर खा के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.12.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो कि फरीकैन को बजरिये डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:07:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner